पूर्व मध्य रेल

संरक्षा बुलेटिन न0–04 / 2022

कार्यालय
महाप्रबंधक / संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0: ईसीआर / संरक्षा बुलेटिन / 04 / 22 दिनांक: 13.04.2022

विषयः गाड़ियों के परिचालन में संरक्षा पर प्रभाव डालने वाले संभावित दशाओं (झटका आदि) की रिर्पोटिंग और बरती जानेवाली सावधानियों से संबंधित दिशा निर्देश ।

संदर्भः महाप्रबंधक / पूमरे के द्वारा समस्तीपुर मंडल के नरकटियागंज–रक्सौल–सीतामढ़ी–मुजफ्फरपुर खंड का दिनांक 15.03.2022 का वार्षिक निरीक्षण रिर्पोट ।

महाप्रबंधक / पूमरे के संदर्भित वार्षिक निरीक्षण रिर्पोट के मद संख्या 1.2 में दिनांक 14.03.2022 को चकिया स्टेशन के पास लोको पायलट द्वारा तेज झटका महसूस किये जाने की घटना को उद्धृत किया गया है । महाप्रबंधक महोदय द्वारा ऐसी घटना की स्थिति में सर्वसंबंधित द्वारा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किये जाने वाले कार्रवाई से संबंधित नियमों को पुनः उद्धृत करने का निर्देश दिया गया है । अतः ट्रेन परिचालन के दौरान लोको पायलट या गार्ड द्वारा झटका (Jerk) महसूस किये जाने की स्थिति में एक दूसरे को तत्काल सूचित किया जाएगा और लोको पायलट / गार्ड द्वारा तत्काल स्टेशन मास्टर को भी सूचना दिया जाएगा जो तत्काल खंड नियंत्रक को सूचित करेगा । सामान्य एवं सहायक नियम किताब के अध्याय–6 के सहायक नियम संख्या 6.07 में रेल कर्मचारियों द्वारा की जानेवाली तत्काल कार्रवाई का विस्तृत विवरण दिया गया है जिसे सर्वसंबंधित द्वारा अनुपालन किया जाना है । इस तरह के मामले में तत्काल की जाने वाली कार्रवाई निम्नवत् हैः–

(1) लोको पायलट और / या गार्ड द्वारा ट्रैक पर या समीपवर्ती ट्रैक के निकट जिसपर उसकी गाड़ी पास की है, पर कोई अवरोध या अन्य असुरक्षित स्थिति अनुभव किया जाता है तथा जो उसके मत से संरक्षित गाड़ी संचलन के लिए असुरक्षित है तो निम्नलिखित कार्रवाई करेगा–

(i) अपने लोको के फ्लेशर लाईट को तुरन्त ऑन कर देगा।

(ii) संबंधित स्टेशन मास्टर / कंट्रोल को उपलब्ध संचार के साधन द्वारा सूचित करेगा ।

(iii) अपने ट्रेन को रोक देगा तथा सामान्य नियम 3.62 के अनुसार प्रभावित लाइन का बचाव (प्रोटेक्शन) करने हेतु खतरे के हाथ सिगनल के साथ बढ़ेगा ।

(iv) यदि जॉच के बाद गाड़ी का परिचालन सुरक्षित हो तो वह फ्लेशर लाइट को ऑन रखते हुए सावधानीपूर्वक अगले स्टेशन तक जाएगा । अगले स्टेशन पर पहुॅचने पर वह घटना के बारे में एक लिखित मेमो द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा । **लोको पायलट / गार्ड अपनी गाड़ी को अगले स्टेशन पर ब्लॉक सेक्शन को साफ किए बिना रोकेगा** और उपलब्ध संचार के साधन द्वारा स्टेशन मास्टर को इकहरी लाईन के मामले में दोनों छोर से तथा दोहरी लाईन के मामलें में पिछले छोर से प्रभावित ब्लॉक खंड में किसी गाड़ी को अनुमति नहीं देने के लिए सूचित करेगा । आई0बी0एस0 के मामलों में लोको पायलट / गार्ड अवश्य ही स्टेशन मास्टर को एवं पहले से पिछले स्टेशन से छुटी गाड़ियों के लोको पायलटों को उपलब्ध संचार के माध्यम से गाड़ियों के संचलन को रोकने हेतु सूचित करेगा ।

(v) प्रभावित खंड पर पहुॅच रही किसी आनेवाली गाड़ी को सूचित करने के लिए खतरे का हाथ सिगनल दिखा कर रोकने के लिए तैयार रहेगा ।

(2) लोको पायलट / गार्ड से इस प्रकार की घटना की सूचना संचार माध्यम से प्राप्त होने पर या मेमो प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर ब्लॉक खंड के दूसरे छोर के स्टेशन के स्टेशन मास्टर को तथा खंड नियंत्रक को एवं संबंधित रेल कर्मचारी को सूचित करेगा ।

(3) खंड नियंत्रक ऐसी खराबी या दोष की जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग के कर्मचारी / नियंत्रक को सूचित करेगा ।

(4) **स्टेशन मास्टर तत्काल प्रभावित सेक्शन में गाड़ी का संचलन रोक देगा तथा तब तक ट्रेन परिचालन नहीं किया जाएगा जब तक कि सक्षम कर्मचारी द्वारा ट्रैक को ट्रेन परिचालन के लिए सुरक्षित होने का लिखित प्रमाण–पत्र नहीं दे दिया जाता है ।**

(5) गाड़ी के गार्ड द्वारा गाड़ी कार्य करने के दौरान ट्रैक में किसी असमान्य घटना का अनुभव होने की स्थिति में वह वॉकी–टॉकी या लोको पायलट तथा गार्ड के मध्य उपलब्ध संचार के अन्य साधन द्वारा अपने गाड़ी के लोको पायलट को घटना के बारे में अवश्य ही सूचित करेगा । यदि गार्ड लोको पायलट से सम्पर्क करने में असमर्थ होता है तो वह गाड़ी को रोकने की कार्रवाई करेगा तथा लोको पायलट को सूचित करने का प्रयास करते रहेगा ।

(6) ट्रैक में किसी प्रकार की असामान्य स्थिति की सूचना पाने पर प्रभावित स्थल पर इंजीनियरिंग कर्मचारी ट्रैक का निरीक्षण करेगा और गाड़ी को पास करने की अनुमति तभी देगा जब ट्रैक गाड़ी को पास करने हेतु सुरक्षित है । ट्रैक की स्थिति एवं गति का कोई प्रतिबंध जो अधिरोपित किया जाना है की सूचना स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत तौर पर अथवा लिखित मेमो द्वारा जिसे लोको पायलट द्वारा भेजा जा सकता है, देगा ।

(7) इसके अतिरिक्त रेल पथ निरीक्षक/इंजीनियरिंग कर्मचारी द्वारा IRPWM के पैरा 1118 में वर्णित कार्रवाई किया जाएगा, जो निम्नवत् हैः–

(i) वरीय अनुभाग अभियंता/जूनियर इंजीनियर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर घटना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी जुटाएगा तथा ट्रेन परिचालन के कार्य को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा । वह तत्काल प्रभावित स्थल के लिए प्रस्थान करेगा तथा रेल पथ का निरीक्षण करेगा और विस्तार से तथ्यों को रिकॉर्ड करेगा । इसके बाद वह रेल पथ को ठीक करेगा तथा आवश्यक होने पर गति प्रतिबंध लगाएगा।

(ii) वरीय अनुभाग अभियंता/जूनियर इंजीनियर इस संबंध में सहायक मंडल अभियंता को एक विस्तृत रिपोर्ट देगा तथा इसकी एक प्रति सर्वसंबंधित को देगा ।

सर्वसंबंधित द्वारा उपरोक्त के साथ सहायक नियम 6.07 में वर्णित अन्य नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । सभी मंडलों के पर्यवेक्षक तथा अधिकारीगण उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

SHIV KUMAR PRASAD

Digitally signed by SHIV KUMAR PRASAD
DN: c=IN, o=INDIAN RAILWAY, ou= , 2.5.4.20=41b98c630584427ed74be85365bfee68b04454f21b047cbd7a639a7e9be7ee13, postalCode=844101, st=Bihar, serialNumber=009eaf25d039cda705294567ac81821948707658191 59f159a272b1cb458e9f5, cn=SHIV KUMAR PRASAD
Date: 2022.04.13 16:10:58 +05'30'

(शिव कुमार प्रसाद)
प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबंधक के सचिव – महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र0 मु0 परि0 प्र0, प्र0 मु0 इंजी0, प्र0 मु0 वि0 इंजी0, प्र0 मु0 सि0एवंदू0 सं0 इंजी0, प्र0 मु0 यां0 इंजी0 – को सादर सूचनार्थ ।
3. मु0 या0 यो0 प्र0, मु0 या0 या0 प्र0, मुख्य ट्रैक इंजी0, मु0 सि0 इंजी0, मु0 वि0 वि0 इंजी0, मु0 वि0लो0 इंजी0
4. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
5. वमसंअ0, वमपरिप्र0, वमंविई0(टीआडी), वमंविई0(परि0), वमंसिदूई0, वमअभि0(सम0)/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी ।